

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, कोटा  
email id- [balakhomekota123@gmail.com](mailto:balakhomekota123@gmail.com)

क्रमांक:- सम्प्रेक्षण / 2023-24 / 301

दिनांक:- 25.04.2023

## खुली प्रतियोगी बोली निविदा सूचना संख्या 05 / 2023-24

सुरक्षित अभिरक्षा में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 49 के तहत विधि से संघर्षरत बालकों के लिए कोटा में स्थापित सुरक्षित अभिरक्षा (Place of safety) के सुचारू संचालन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु वित्तीयवार्षिक दर संविदा पर परामर्शदाता, केस वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक (सफाई कर्मी), गृह पिता एवं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं किशोर न्याय बोर्ड कोटा हेतु 01-01 मेन विद मशीन कम्प्यूटर ओपरेटर की जॉब बेसिस पर मैनपावर आपूर्ति सेवायें (जिसकी अनुमानित वार्षिक मूल्य 8.70 लाख है), वित्त वर्ष 2023-24 (अवधि जून 2023 से फरवरी 2024) के लिये वांछनीय है, अतः श्रम विभाग में पंजीकृत संवेदकों/संस्थाओं/सेवाप्रदाता एजेन्सियों से शर्तरहित निविदा दिनांक 15.05.2023 तक आमंत्रित की जाती है। बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट <http://sje.rajasthan.gov.in> या लोक उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर एवं डी.पी.आर की वेबसाईट [www.dipronline.org](http://www.dipronline.org) पर देखी जा सकती है।

UBN:- CED2324 SS0B00002

NIB CODE: CED2324 A0002

अधीक्षक

राजकीयसम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग,  
कोटा

क्रमांक: सम्प्रेक्षण / 2023-24 / 302-4

दिनांक : 25.04.2023

प्रतिलिपि:-

- श्रीमान निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त विज्ञप्ति की 03 प्रतियां भिजवाकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति का नियमानुसार आपके विभाग की बेवसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करावे एवं निविदा सूचना एक क्षेत्रीय स्तर के मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम दर व न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कराने की कृपा करावें।
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र भेजकर निवेदन हैं कि नियमानुसार विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित कराने का श्रम फरमावें।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/जिला परिषद/नगर निगम कोटा।

अधीक्षक

राजकीयसम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग,  
कोटा

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग, कोटा  
email id- [balakhomekota123@gmail.com](mailto:balakhomekota123@gmail.com)

क्रमांक:- सम्प्रेक्षण / 2023-24 / ३७०

दिनांक:- २५-५-२०२३

**बिड आमंत्रण सूचना संख्या ०५ / २०२३-२४**

सुरक्षित अभिरक्षा में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 49 के तहत विधि से संधर्षरत बालकों के लिए कोटा में स्थापित सुरक्षित अभिरक्षा (Place of safety) के सुचारू संचालन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु वित्तीय वर्षिक दर संविदा पर परामर्शदाता, केस वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, सहायक (सफाई कर्मी), गृह पिता एवं राजकीय सम्प्रेक्षण गृह एवं किशोर न्याय बोर्ड 2023-24 (अवधि जून 2023 से फरवरी 2024) के लिये निम्नानुसार कार्य/सेवायें जॉब बेसिस (Out Source Work) वाल्हनीय है। अतः राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उम्मलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य नियम अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों/संस्थाओं/सेवाप्रदाता एंजेसियों से राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत शर्त रहित खुली प्रतियोगी बोली (हि प्रकर्मी मोहर बन्द लिफाको में) आमंत्रित की जाती है।

**-महत्वपूर्ण दिनांक एवं समय**

क्र.सं.	विवरण	महत्वपूर्ण दिनांक, समय व अन्य सूचना
1	मैन पावर आपूर्ति का कार्य विवरण	शिड्यूल G के अनुसार
2	अनुमानित लागत	8.70 लाख रुपये
3	बिड प्रपत्र शुल्क	500.00 रुपये
4	बिड सिक्योरिटी बौण्ड	रु: 17400/-
5	बिड डाउनलोड करने की दिनांक	25/04/2023 प्रातः 9.30 बजे से
6	EMD/Fee dk DD	15/05/2023 दोपहर 12.00 बजे तक
7	तकनीकी बिड व वित्तीय बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15/05/2023 दोपहर 12.00 बजे तक
8	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	16/05/2023 दोपहर 3.00 बजे
9	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	17/05/2023 दोपहर 1.00 बजे

बिड से संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेब साईट <http://sje.rajasthan.gov.in> या लोक उपापन पोर्टल [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है। डाउनलोड की जा सकती है। तकनीकी व वित्तीय बिड के पृथक्-पृथक् मोहरबन्द लिफाको में निर्धारित तिथि व समय तक इस कार्यालय को प्रस्तुत की जा सकती है।

अधीक्षक

राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग,  
नयागांव कोटा।

दिनांक:-25.04.2023

तकनीकी बिड

1. उपापन संस्था का विवरण : अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,(सुरक्षित अभिरक्षा गृह)बाल अधिकारिता विभाग, कोटा
2. कार्य का विवरण : आवासित बालको हेतु वार्षिक दर संविदा पर परामर्शदाता ,केस वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ,सहायक (सफाई कर्मी),गृह पिता,मेन विद मशीन कम्पयूटर ऑपरेटरकीजॉब बेसिस सेवा की आपूर्ति का कार्य
3. अनुमानित लागत : रु. 8.70 लाख
4. बिड आमंत्रण सूचना : 05 / 2023-24
5. बोलीदाता का विवरण : दिनांक .....

  - (1) फर्म/संस्था का पूरा नाम : .....
  - (2) पूर्ण पता : .....
  - (3) संस्था का प्रकार (एनजीओ/फर्म/कं./अन्य) : .....
  - (4) टेलीफोन नं. : .....
  - (5) मोबाइल नं. : .....
  - (6) ई-मेल पता : .....

6. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :-

क्र.सं.	प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रकार एवं विवरण	हाँ या नहीं	जारी होने की तिथि / वैधता अवधि / बैंक का विवरण
1.	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रुपये 500/- जमा करने का ड्राफट /बैंकर्स चैक नम्बर ..... दिनांक .....		
2	बिड सिक्युरिटी राशि 17400/-डी.डी./		
3	मैन पावर सप्लाई हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र (2020-21, 2021-22,2022-23)		
4	फर्म/संस्था के पंजीकरण की सूचना आदि		
	A.राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970		
	B.कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952,		
	C.कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948,		
	D.वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी नं.),		

	E. इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या F. इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 या G. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 H. संस्था का आयकर (पैन नम्बर)		
5	गत तीन वर्षों का सीए का ऑडिट रिपोर्ट		
6	गत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न		
7	गत वर्षों में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र(100 रुपये के नीन ज्यूडिशियल स्टाम पर शापथ पत्र नोटेरी द्वारा प्रमाणित )		
8	Annexure '1' संलग्न करना। (गत तीन वर्षों में न्यूनतम रु. 3.00लाख रुपये का टर्न ओवर किसी एक वर्ष में) सी.ए. द्वारा जारी प्रमाणपत्र अनुसार		
9	परिशिष्ठ 1, 2, 3, 4 एवं A,B,C,D		
10	A. बैंक का विवरण B. बैंक खाताधारक संस्था का पूरा नाम C. बैंक का नाम व शाखा का नाम D. बैंक खाते का प्रकार E. आई एफ एस सी कोड		

7. इसके अलावा हमारे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

8. मैं/हम, कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, नयागाव, कोटा द्वारा जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... मैं वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न पत्रों (जिसमें समस्त पृष्ठों पर हमने उसमें वर्णित शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं) मैं/हम दी गई समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/करते हैं। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच मेरे/ हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज वैधानिक/प्रक्रियात्मक/मौलिक रूप से सही हैं। यदि बोली प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहेंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी

समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने, मेरे/हमारे विरुद्ध  
कानून/विधिसम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

अधीक्षक  
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग,  
नयागाँव कोटा

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील  
दिनांक



दिनांक : 25.04.2023

## वित्तीय निविदा

संवेदक के माध्यम से वार्षिक दर संविदा पर परामर्शदाता, स्वीपर, केयर टेकर, पेरामेडिकल स्टाफ, केस वर्कर, मैन विद मशीन कम्प्यूटर ऑपरेटर की जॉब बेसिस सेवाओं के उपापन के लिए अपनी निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी:-

(संवेदक द्वारा भरा जाना)

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति जॉब / विजिट बेसिस	कार्य हेतु अभिक की श्रेणी आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति की मजदूरी दर	इपोएफ की दर 3. 13% से राशि	इपाइजाई की दर 3. 25% से राशि	जौ-एस.टी. की दर 3. 18% से राशि	सेवा प्रदाता द्वारा सर्विस चार्ज प्रस्तुत प्रति व्यक्ति सेवा दर का प्रतिशत व राशि(प्रति अभिक 1.00 रु0 के गुणक में)	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	परामर्शदाता (1) विजिट बेसिस,	01	8000 (400/- प्रति विजिट) 20. विजिट अधिकतम	8000/-	वर्तमान में प्रचलित दरों के आधार पर				
2.	केस वर्कर (1) जॉब बेसिस,	01	8658 (333/- प्रतिदिन)	8658/-	वर्तमान में प्रचलित दरों के आधार पर				
3.	पेरामेडिकल स्टाफ(1), जॉब बेसिस	01	8658 (333/- प्रतिदिन)	8658/-	वर्तमान में प्रचलित दरों के आधार पर				
4.	सहायक (सफाई कर्मचारी) (1) जॉब बेसिस,	01	6734 (259/- प्रतिदिन)	6734/-	वर्तमान में प्रचलित दरों के आधार पर				
5.	गृह विता (3) जॉब बेसिस,	03	7358 (283/- प्रतिदिन)	7358/-	वर्तमान में प्रचलित दरों के आधार पर				
6.	मैन विद मशीन कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	8658 (333/- प्रतिदिन)	8658/-	वर्तमान में प्रचलित दरों के आधार पर				

नोट : बोलीदाता द्वारा कॉलम नं. 09 में ही राशि की प्रविष्टि की जानी है।

1. GST नियमानुसार लागु होगा जो की पृथक से देय होगा।
2. सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति मैन पावर सेवा दर का प्रतिशत में शून्य दर 0.00/राशि स्वीकार्य नहीं होगी।
3. वित्त विभाग द्वारा न्यूनतम दर में परिवर्तन राज्य सरकार की अधिसूचना / विभाग द्वारा समय-समय पर परिवर्तन अनुसार परिवर्तित रहेगी।

दिनांक:.....

हस्ताक्षकर्ता निविदाता मय सील

## राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,

बाल अधिकारिता विभाग, कोटा

## निविदा में जोब बेस / विजिट बेस पदों का विवरण

संस्था में स्वीकृत आवासीनियों की संख्या	50	केस वर्कर (उच्च बुशल)	
जोब बेस पर कार्य का नाम	जोब बेस का औपचार्य	अनुमति राशि	
कार्य का विवरण			
<p>1. बाल देखरेख संस्था में मामला कार्यकर्ता बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों का कार्यान्वयन करेगा।</p> <p>2. मामला कार्यकर्ता बालक के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्संरचन कथा अवश्यक अनुवर्ती कारबाई सुनिश्चित करने हेतु स्थैरिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करेगा।</p> <p>3. बाल कल्याण अधिकारी संस्था किसी बालक को लेने के लिए बाल देखभाल संस्था में उपलब्ध मामला कार्यकर्ता उसे नित्र बनाने और उसकी सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए लिए गए बालक के साथ बातचीत करगा तथा बालक प्राप्त करने की प्रक्रिया का पर्यावरण करेगा।</p> <p>4. पुलिस अथवा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी से सूचना प्राप्ति पर अथवा बाल देखभाल संस्था में बालक के पहुंचने पर मामला कार्यकर्ता व्यवक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से तुरंत बालकों की समाजिक जांच करना और उसके परिवार सदरस्थी, सामाजिक अभिकरणों तथा अन्य स्वीकारों से पूर्ववर्ती तथा बालक का परिवार इतिहास की जांच करता है तथा जो भी प्राचीनगिक सामग्री हो, ऐसी अन्य सामग्री को एकत्र करता है तथा 15 दिन के भीतर बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय को सामाजिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।</p> <p>5. बाल देखरेख संस्था में सभी मामला कार्यकर्ता को सौंपे जाएंगे तथा ऐसा मामला कार्यकर्ता बालक की देखभाल और विकास अर्थात् सभी पहलुओं, बालक के बारे में बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय को रिपोर्ट करने अथवा बाल देखभाल संस्था में बाल अभिलेखों का रख रखाव करने में उसको सौंपे गए बालक के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>6. मामला कार्यकर्ता को बालक को सौंपे जाने पर, मामला कार्यकर्ता निम्नलिखित कार्य करेगा :</p> <p>(*) बालक की मामला फाईल तैयार करना,</p>	<p>केस वर्कर (उच्च बुशल)</p> <p>जोब बेस का औपचार्य</p> <p>किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 62 में निर्धारित कार्य</p>	<p>अनुमति राशि</p> <p>श्रम विभाग के निवेशानुसार प्रतिमाह समस्त करों सहित अनुगोदित दर अनुसार।</p> <p>01 केस वर्कर वित्ती संकाय में स्नातक डिप्ली एवं बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव</p>	

- (2) सरकारी अधिकारी कोड का रख रखाव ,
- (3) बालक का व्यक्तिगत अभिलेख तैयार करना और उसका रख रखाव करना और सुनिश्चित करना कि बालक का उपचार बाधित अथवा उपेक्षित न हो,
- (4) बालक की सुरक्षा कल्याण और विकास सुनिश्चित करने, बाल देखरेख संस्था में जीवन के साथ सम्बंध के लिए बालक की सहायता करने के लिए बालक से प्रत्येक दिन मिलना। नए लिये गए बालक को साथ दिन में एक बार से अधिक बार मुलाकात की जाएगी ।
- (5) बालक की शिक्षा, व्यवसायिक स्थिति और बौशल और भावनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए युक्तज्ञता के पांच दिनों में बालक के बारे में एकप्रियत करना ।
- (6) जलरी चिकित्सा और मानसिक जांच करना, बालक का मृद्दांबन और परीक्षा करना ।
- (7) रिपोर्ट का अव्ययन करना और बालक और उसके परिवार के सदस्यों के परामर्श से लिखित जाच की अवधि के दौरान बालक की केस फाईल में लगाने के लिए प्रारूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना । यामता कार्यकर्ता, जैसा भी वह इस संबंध में उचित समझे, परामर्शदाता, ननोइज़ानिक या ऐसे अन्य व्यक्तित्व से परामर्श ले सकता है,
- (8) व्यक्तिगत देखरेख योजना के मुताबिक बालक को लिए एक दिनवर्या तैयार की जाए और बालक को समझा दी जाए ।
- (9) यह सुनिश्चित करना कि बालक तैयार की गई दिवर्या की गतिविधियों का अनुपालन करें और इस संबंध में देखभाल करताओं से समय पर रिपोर्ट लेना,
- (10) व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन और कारणता की आवधिक समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो, प्रबंधन समिति के अनुमोदन से प्रारूप 7 में व्यक्तिगत देखरेख योजना और/या दिनवर्या में उन्नित आशेषन करना,
- (11) बालक को समस्याओं को हल करना और गृह में जीवन में उनकी कठिनाईयों का सहानुभूतिपूर्वक निपटान करना,
- (12) बालक से संबंधित अनिवार्यात्मक निगरानी, शिक्षा, व्यवसायिक एवं पुनर्वास कार्यक्रमों में भागीदारी करना और उन्हें सोचे गए बालकों के संबंध में रक्खूनों में अभिभावक शिक्षक बैठकों में उपस्थित रहना,
- (13) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय की कार्यवाही में उपस्थिति रखना और सभी सूचनाएं उपलब्ध कराना और उनीं रिपोर्ट जिनकी भाग की गई हो, दाखिल करना,
- (14) आयु वीं घोषणा का आदेश प्राप्त होने पर, बालक की आयु के संबंध में अभिलेख ने, यदि कोई परिवर्तन उपेक्षित हो, आवश्यक परिवर्तन करना और बालक की भागता काइल में उक्त आदेश की प्रति लगाना,
- (15) रिहाई-पूर्व कार्यक्रम में भागीदारी करना और बालक की संपर्क स्थापित करने में सहायता करना और रिहाई के बाद बालक को भावनात्मक और सामाजिक समर्पण पदान कर सकता,
- (16) बालक वों की रिहाई के बाद उनसे संपर्क बनाए रखना और उन्हें सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना,
- (17) उनके पर्यवेक्षण के अद्यतन बालक के आवास का और ऐसे बालक के नियोजन के स्थान या स्कूल

	<p>जिसमें वह पढ़ाई कर रहा हो, का भी नियमित दौरा और पालिक या अन्यथा जैसा भी निर्देश दिया गया हो, इंपोर्ट प्रदत्त करना,</p> <p>(18) बालक को जड़ा कही भी संभव हो यथा स्थिति बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय से जैसा भी बाल देखरेख संस्था तक बालक के साथ जाना,</p> <p>(19) बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष बालक को पेश करने या चिकित्सा उपचार की अगली तारीख का अभिलेख रखना और यह सुनिश्चित करना कि उक्त तारीख को बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के समक्ष या चिकित्सा उपचार के लिए बालक को पेश किया जाए,</p> <p>(20) तमस्य-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रजिस्टरों का रख रखाव करना,</p> <p>(21) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया और अन्य कार्य-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7. मामला कार्यकर्ता जिसे बाल देखरेख संस्था के परिसर की दैनिक सफाई को जांच का कार्य सौंपा गया है, ऐसी जांच दिन में दो बार करेगा, पहली सुबह की सफाई के बाद और दूसरी शाम की सफाई के बाद। मामला कार्यकर्ता गृह-व्यवस्था रजिस्टर में इसका उल्लेख करेगा।</li> <li>8. मामला कार्यकर्ता जिसे दैनिक खाना पकाने के कार्य को जांचने का कार्य सौंपा गया है, प्रत्येक आहार के बारे में आहार रजिस्टर में इसका उल्लेख करेगा।</li> </ul>	
2.	<p>जांब बेस पर कार्य का नाम</p> <p>कार्य का विवरण</p> <p>1. आधिकारिक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, कोटा के परिसर में (24 घंटे) सफाई/पीछा/घूलाई करना</p> <p>2. सुरक्षित गृह के परिसर में स्थित शोवालय/स्पानशर में प्रतिदिन दो बार हार्डिंग से सफाई करना एवं ओडानिल बार/कपूर की गोली, साबून वीं टिकिया रखना</p> <p>3. सुरक्षित गृह के बाथरूम की प्रति दिन सफाई करना</p> <p>4. सुरक्षित गृह परिसर की छत की माह में एक बार सफाई करना</p> <p>5. सुरक्षित गृह की यानी की टंकी एवं बाटर कूलर की टंकी की माह में तीन बार सफाई करना।</p> <p>6. सुरक्षित गृह परिसर में लिङ्कियों शीशे के दरवाजे आदि की सफाई से माह में एक बार सफाई करना</p> <p>7. सुरक्षित गृह में स्थित कमरे में पंख द्वारा लाइट्स आदि की प्रति माह में एक बार सफाई करना</p> <p>8. सुरक्षित गृह के कमरों में अलग से झांडू लगाना</p>	<p>सहायक-सफाई कर्मी (अकुशल)</p> <p>जांब बेस का औचित्य</p> <p>गृह परिसर की सम्पूर्ण सफाई हेतु। समय (दो पारी के अनुसार) प्रातः 6-00am 11-00am सायं 4-00pm 7-00pm</p>
3.	<p>जांब बेस पर कार्य का नाम</p> <p>कार्य का विवरण</p> <p>1. प्रत्येक गृह जिसा या गृह मात्र प्रभारी व्यक्ति के निर्देशों की यानी कराराया/करेगी।</p> <p>2. गृहपिता या गृह माता के साथारण कार्य कार्य और उल्लदायित्व निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(1) बाल देखरेख संस्था में प्रत्येक बालक के साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार करना,</p>	<p>गृह पिता कुशल</p> <p>जांब बेस का औचित्य</p> <p>योग्यता सेकंडरी/ समवक्षी</p> <p>बच्चों के साथ कार्य करने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव</p> <p>कुशल अधिकारी को देय वेतन अनुसार कुल 03 में निर्धारित कार्य</p>

<p>(2) बालक की उचित देखरेख करना और उसका कल्याण सुनिश्चित करना,</p> <p>(3) प्रत्येक बालक को उसकी प्राप्ति पर कपड़ों, प्रात्साधन सामग्री और ऐनिक उपयोग के लिए अपेक्षित ऐसी अन्य वस्तुओं जैसी तरीं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएंगा,</p> <p>(4) मानक और बालक की जलरतों के अनुसार खाद्य आपूर्ति और सामान की पुनः पूर्ति करना,</p> <p>(5) बालक (लो) के बीच अनुशासन बनाए रखना,</p> <p>(6) यह सुनिश्चित करना कि बाल व्यवितरण सफाई और स्वच्छता बनाए रखें,</p> <p>(7) अनुक्षण और सफाई की देखभाल करना और आस-पास स्वच्छता बनाए रखना,</p> <p>(8) प्रत्येक बालक की दैनिक दिनधर्या का दक्षतापूर्वक शैति से कार्यान्वयन और इसमें बालकों की सहभागिता सुनिश्चित करना,</p> <p>(9) बाल देखरेख संस्था में सुरक्षा और संरक्षा लौं देखभाल करना,</p> <p>(10) बालकों का ,वे जब कभी बोर्ड या समिति या बाल व्यायालय के समझ पेश होने के अलावा अन्य किसी प्रयोजन से बाल देखरेख संस्था से बाहर जाते हैं, भार्गवक्षण करना,</p> <p>(11) प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करना और बाल कल्याण अधिकारी को सौंपे गए बालक के बारे में बाल कल्याण अधिकारी को सूचित करना,</p> <p>(12) उनके कर्तव्यों से संबंधित रजिस्टरों का रख रखाव करना, और</p> <p>(13) बाल देखरेख संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।</p>	<p>समय( तीन पारी के अनुसार)</p> <p>प्रातः 6-00am2-00Pm</p> <p>दोपहर02-pm 10-00 Pm</p> <p>रात्रि10-00PM 6-00 am</p>	
<p>4. विजिट बेस पर कार्य का नाम</p> <p>कार्य का विवरण</p>	<p>प्रशमशीदाता</p> <p>विजिट बेस का औद्योगिक</p>	<p>अनुमति राशि एवं योग्यता</p> <p>समाजशास्त्र स्नातकोत्तर/ मनोविज्ञान स्नातकोत्तर एवं दृष्टि के साथ कार्य करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव</p>
<p>1. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 35235 दिनांक 28.02.2019 से जारी भार्गदर्शिका के अनुरूप काउन्सिलिंग करना।</p> <p>2. बच्चे की शारीरिक और भावनात्मक स्थिति को समझना।</p> <p>3. उसकी पीड़ा को दूर करना और चौट के भ्रातव तथा विकास को बढ़ावा देना।</p> <p>4. बच्चे के अनुसार बताए गए घटना के कारणों को जानना एवं सुनना।</p>	<p>बालकों को भार्गदर्शन देते हुए परिवार द्वारा पर पुर्वानुसित करना व सही मार्ग दर्शन प्रदान करना।</p>	<p>01 प्रशमशीदाता अधिकतम 20 विजिट, प्रति विजिट 400/- लग्ये</p>

	<p>5. जब बच्चा मुश्किल में है तो उचित ढंग से प्रतिक्रिया देना।</p> <p>6. बालक की उपस्थिति, हाव-भाव घाल,आधार जैसे उसके बारे में अनेक बातें जानना।</p> <p>7. इस तरह के सम्प्रेषण के प्रयोग में शब्दों की बजाय महसूस करना।</p> <p>8. जो बच्चे उन्हें रेफर किए गए हैं उन्हें परामर्श और सहायता देना और समृह आधारित गतिविधियाँ करना।</p> <p>9. बच्चे के पूर्ण व्यक्तित्व और सामाजिक विकास को बढ़ाना तथा उसके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना।</p> <p>10. बच्चे को उसके परिवार या समुदाय से पुनः जाड़ने में सहायता करना।</p> <p>11. जब आवश्यक हो तो किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति/न्यायालय की काउन्सलिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करना अथवा मनाही के लिए जाना।</p> <p>12. उक्त के अतिरिक्त संस्थान के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा पदल कार्य संपादित करना।</p>		
5.	जॉब बेस पर कार्य का नाम	पैशेंडिकल स्टाफ	
	कार्य का विवरण	जॉब बेस का औचित्य	
6.	<p>1. बच्चों को समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करना।</p> <p>2. बीमार बच्चों को समय-समय पर दवाईयाँ उपलब्ध कराना।</p> <p>3. बच्चों को मौसमी बीमारीयों/संकामक बीमारीयों से बचने के उपाय के बारे में अवगत कराना।</p> <p>4. छोटे बच्चों को समय-समय पर टीके/पोलियो इत्यादि की दवा पिलाना।</p> <p>5. आवश्यकतानुसार चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सक) का सहायता करना।</p> <p>6. बच्चों को उम्र के अनुसार आने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताना।</p> <p>7. किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोलियाँ उपलब्ध कराना।</p> <p>8. उक्त के अतिरिक्त संस्थान के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा पदल कार्य संपादित करना।</p>	<p>अधिनियम के अनुसार सुरक्षित अभिरक्षा में आवासित बालकों की देखरेख एवं संरक्षण का कार्य</p>	<p>नरसिंग में रनातक (जी.एन.एम. /ए.एन.एम.)डिग्री.कुशल अभियंक को देय बेतन अनुसार कूल 01 कार्मिक को देय बेतन की गणना कर भुगतान करना</p>
6.	जॉब बेस पर कार्य का नाम	कम्प्यूटर ऑफरेटर मेन विद्यमान	
	कार्य का विवरण	जॉब बेस का औचित्य	
	<p>1. अधीक्षक,राजकीय सम्प्रेषण गृह एवं किशोर न्याय बोर्ड गृह के डाटा एन्ट्री एवं ऑनलाइन सम्बंधित कार्यों को करना।</p> <p>2. अधीक्षक,राजकीय सम्प्रेषण गृह एवं किशोर न्याय बोर्ड गृह के कार्यालय कार्यों को करना।</p> <p>3. उक्त के अतिरिक्त संस्थान के प्रभारी/अधीक्षक द्वारा पदल कार्य संपादित करना।</p>	<p>अधीक्षक,राजकीय सम्प्रेषण गृह एवं किशोर न्याय बोर्ड के ऑनलाइन एवं पत्र टाईपिंग कार्य</p>	<p>कम्प्यूटर ऑफरेटर बुल 02 कार्मिक को देय बेतन की गणना कर भुगतान करना।</p>

निविदा की कुल राशि 8.70 लाख आठ लाख सत्तर हजार रुपये मात्र।

नोट :- सबेदक द्वारा प्रस्तुत दरें (समस्त करों / शुल्क सहित) विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं हो एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित चूनतम् मजदूरी दरों से कम नहीं होना चाहिए।

हस्ताक्षर सर्वेदक / बोलीदाता



इकरारनामा

## निविदा की सामान्य शर्तें

कार्यालय अधीक्षक, सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, (सुरक्षित अभियान गृह)  
नयागावं कोटा में जॉब बेसिस / विजिट बेस सेवा की आपूर्ति का कार्य:- वित्त वर्ष 2023-24  
(अवधि जून 2023 से फरवरी 2024)

बोलीदाताओं के लिए अनुदेश एवं शर्तें

**Important Instruction:** The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in public procurement Act, 2012" [herein after called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013" [herein after called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal <http://sppp.raj.nic.in> . Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

### 1. निविदा प्रस्तुत करने की विधि व प्रक्रिया :

- (1) बोली प्रस्तुत करने के इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा बोली प्रपत्र <http://sopp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। एवं विभागीय वेबसाईट [raj.sje@rajasthan.gov.in](mailto:raj.sje@rajasthan.gov.in) या कार्यालय से भी निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है।
  - (2) बोली निर्धारित फोरमेट में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा से संबंधित वित्तीय बिड प्रपत्र के सहित सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करते हुए तथा आवश्यक अन्य दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करने के उपरान्त निर्धारित दिनांक को निर्धारित समय तक व्यक्तिशः/डाक द्वारा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि व समय पश्चात डाक द्वारा प्राप्त बोली प्रपत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः बोलीदाता अपनी बोली प्रपत्र निर्धारित तिथि से पूर्व स्वयं के स्तर से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे (डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त बोली प्रपत्रों हेतु निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होंगे)।
  - (3) वित्तीय बिड प्रपत्र निर्धारित फोरमेट में पृथक लिफाफे में मोहरबन्द कर प्रस्तुत की जावेगी। निविदादाता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही दरें वित्तीय बिड प्रपत्र के अलावा अन्य किसी स्थान पर प्रकट नहीं की जावें।
  - (4) तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड को खोला जावेगा।
  - (5) वित्तीय बिड व तकनीकी बिड पृथक—पृथक मोहरबन्द लिफाफों में उन पर फर्म का नाम पता सम्पर्क नम्बर व तकनीकी बिड/वित्तीय बिड स्पष्ट रूप से अंकित कर निर्धारित तिथि व निर्धारित समय तक प्रस्तुत कर सकेंगे। जिन्हे निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। तकनीकी बिड के समस्त पृष्ठों पर कम संख्या अंकित की जावे तथा तकनीकी बिड के कॉलम अनुसार उसका संलग्नक का पृष्ठ क्रमांक उसके समक्ष अंकित किया जावे।

## 2. बिड प्रस्तूत करने के लिए पात्रता:

कोई भी व्यक्ति / कर्म / संस्था जो राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) आधानयम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, घरतु एवं सेवाकर जीएसटी, आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958, या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956, के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा गत तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में टर्नओवर रुपये 3.00 लाख होना आवश्यक है। इस तथा Annexure-1भर कर व पंजीकरण की सूचना Annexure-2तथा चैक लिस्ट भरकर तकनीकी हेतु

निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा इससे सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रति लगाना आवश्यक होगा।

### 3. बिड की सामान्य निर्देश एवं शर्तें :

1. केन्द्र सरकार/राज्यसरकार द्वारा लागू जी.एस.टी., पी०एफ० एवं ई०एस०आई० के समक्ष निर्भारित दरों से नियमानुसार टेक्स का भुगतान, विभागीय अंशदान का भुगतान विभाग द्वारा पृथक से किया जायेगा।
2. बोलीदाता द्वारा वेसिक रेट/सर्विस चार्ज एवं जीएसटी का अकंन(BOQ) में किया जायेगा। वेसीक रेट की दरे न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम नहीं होनी चाहिए। वेसिक दरे न्यूनतम मजदूरी की दरों से कम होने/सर्विस चार्ज की दरे अस्पष्ट/आमक.या निःशुल्क या जीरो प्लाइन्ट जीरो (0.00) होने की अवस्था में सम्बन्धित बोलीदाता की निविदा/बोली स्वतः ही निरस्त मान ली जावेगी।
3. निविदा की विधि मान्यता तिथि 90 दिवस होगी।
4. कार्य की अवधि व स्वीकृत दरें कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से एक (01) वर्ष के लिए मान्य होगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में आपसी सहमति से 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
5. निविदादाता को तकनीकी बिड के साथ पात्रता के संबंध में वांछित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है।
6. निविदादाताको निविदा सूचना में अंकित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकस थैक जो कि अधीक्षकराजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, कोटाका कोटा शाखा में भुगतान योग्य निविदा के साथ जगा कराना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 0.5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा जगा कराना होगा। / एवं स्वीकृति के 07 दिवस में जगा करानी होगी अन्यथा अमानत राशि जप्त करली जावेगी। / एवं राजस्थान सरकार वित्त (GF&AR)विभाग के पत्रांक एफ 2(1) दित्त/ जीएण्ड- एसपीएफसी/ 2017/ जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार धरोहर राशि राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 3 अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Deciaration) के अन्तर्गत नियमानुसार वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। अमानत का प्रतिभूति राशि में समायोजन कर लिया जायेगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की अमानत राशि राक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर अमानत राशि लौटा दी जायेगी। अमानत राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. सफल निविदादाता द्वारा अवधक एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय समिति को होगा।
9. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय समिति को होगा।
10. दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय समिति के पास सुरक्षित होगा।
11. निविदादाता को तकनीकी निविदा में अंकित समस्त वांछित एवं अंकित दस्तावेज निविदा के साथ अपलोड करने होंगे। निविदादाता द्वारा जी.एस.टी. नम्बर का पंजीकरण संलग्न करना होगा।
12. निविदादाता को ठेका कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नहीं करेगा। ऐसा किया जाना पाया गया तो ब्लैक लिस्टेड कर कार्यादेश निरस्त कर दिया जाएगा।
13. निविदा की शर्तों का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
14. निविदा के सम्बन्ध में अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आघरण करने सम्बन्धित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदायकर्ता को देता है तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी।

16. निविदादाता द्वारा जॉब कार्य हेतु उपलब्ध करवाये गये कर्मकारों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
17. अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, कोटाद्वारा निविदा से सम्बन्धित कोई भी सूचना सेवा प्रदायकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु निविदादाता को कार्यस्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि ठेकेदार के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिये अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड डॉ कलॉक अधीक्षक के सम्पर्क में रहेगा एवं प्रशासन के द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिये उत्तरदायी होगा।
18. सफल निविदादाता द्वारा संस्था में सफाई हेतु सफाईकर्मी, केयर-टेकर संबंधी कार्य व भोजन बनाने के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार किसी भी स्थिति में नियमित नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।
19. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवायें जायेंगे। यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं करवायें जाने पर भोजन बनाने, सफाई, केयर टेकर संबंधी कार्य सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जायेगी।
20. निविदादाता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में अधीक्षकराजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, कोटाको निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेन्स या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
22. निविदा अनुमोदित होने पर सम्बन्धित संस्था/फर्म/एजेन्सी द्वारा रूपये 500/- के नौन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में कार्यादेश की तिथि से अन्दर 07 योम अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा। जिसका व्यय सम्बन्धित निविदादाता द्वारा बहन किया जायेगा तथा अनुमोदित कार्य राशि की 0.5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में अन्दर 07 योम में जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई व्याज नहीं दिया जायेगा।
23. निविदादाता द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से बैंक खाते के माध्यम से करना होगा चाहे बाल अधिकारिता विभाग से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यों न हो। निविदादाता जिस दिन व समय पर श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान करना निश्चित करेगा यह दिन व समय कार्यालय को अनुबन्ध प्रारम्भ होते ही सूचित करेगा।
24. निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने की स्थिति में निविदादाता को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का पूर्ण अधिकार विभागीय समिति को होगा।
25. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरान्त मृत्यु हो जाती हैं या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपेंग हो जाता हैं तो उसकी समस्त दायित्व, क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए सरकार/बाल अधिकारिता विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
26. यदि निविदादाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यक्तित होकर कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें बाल अधिकारिता विभाग व प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो बाल अधिकारिता विभाग प्रशासन पर पड़ने वाला समस्त भार निविदादाता से वसूला जायेगा।
27. यदि निविदादाता एवं उसके कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। बाल अधिकारिता विभाग के प्रशासन को कोई दायित्व नहीं होगा।

28. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर बाल अधिकारिता विभाग का निर्णय अनिम होगा व निविदादाता को मानना होगा।
29. विभाग के अधीन संचालित सुरक्षित गृह में बालकों की प्रवेशित छात्र संख्या में घटौतरी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है। अधीक्षकराजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह कोटाका यह अधिकार होगा कि वह संस्था के अन्दर भोजन बनाने, सफाई, केयर टेकर संबंधी कार्य करवाने/हटाने हेतु निविदादाता को आदेशित करेगा तथा निविदादाता को इन आदेशों के अनुरूप ही कार्य करना होगा।
30. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप टी.डी.एस. अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
31. प्रशासनिक दृष्टि से नियमित राजकीय कर्मचारियों के पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण से संस्था में जॉब कार्य करवाने की स्थिति में परिवर्तन होने पर स्वीकृत निविदादाता को अधीक्षकराजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह कोटाके दिये गये निर्देशों के अनुसार जॉब कार्य संस्था में करवाने के लिये बाध्य होगा।
32. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही सम्बन्धित जिला कोटा स्थित न्यायालय में ही होनी।
33. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
34. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अहत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुये बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
35. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक का द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की सतुर्धि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
36. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
37. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अंतर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
38. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के नाम वाईज ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित घालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
39. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
40. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
41. संवेदक द्वारा श्रमिकों के देय राशि पर वस्तु एवं सेवा (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा

- गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं कर (GST) की राशि जमा करने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
42. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक उत्तरदायी होगा।
43. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं अन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने का लिये उत्तरदायी होगा।
44. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
45. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुघटना वीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
46. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की विकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar करने की कार्यवाही करेगी।
47. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति में मददेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुये, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिये यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की स्थान स्वीकृति प्राप्त कर रखी हैं तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
48. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से ग्रेवित की जायेगी।
49. आयकर एवं जीएसटी के सम्बन्धी एस की कटौती केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तों के अनुसार संवेदक को देय भुगतान/बिलों से की जावेगी।
50. श्रमिकों से किसी भी प्रकार का नुकसान/चौरी/हानि होने पर उसकी वसूली संवेदक द्वारा की जावेगी।
51. किसी भी नाबालिक (18 वर्ष से कम आयु) व 55 वर्ष से ज्यादा आयु एवं कार्य करने में असक्षम वर्कस को काम पर नहीं लगाया जावे।
52. उक्त निविदा में RTPP RULE 2013 Act 2012 एवं GF&AR के प्रावधान लागू होगे।
53. ट्रेकेदार/एजेन्सी को भुगतान ट्रेजरी से बिल पास होने पर किया जायेगा।
54. यदि संवेदक/बौलीदाता द्वारा कार्य अवधि 12 माह से कम अवधि के निविदा देने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
55. सर्विस चार्ज की राशि जीरो प्याइन्ट जीरो या निशुल्क सेवा होने पर निविदा/बौली निरस्त कर दी जावेगी। (जो प्रति श्रमिक प्रतिमाह एक रूपये के गुणक में होगी)

56. दैनिक मजदूरी पाने वाले किसी कर्मचारी को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना जिस वर्ग का वह कर्मचारी है, उस वर्ग के लिये नियत मासिक मजदूरी की दर में 26 का भाग देकर की गई है।
57. उक्त नियोजनों में कार्यरत कर्मचारी के लिये नियत दरों में साप्ताहिक अवकाश का वेतन शामिल है।
58. पार्ट टाईम (अशांकालीन) श्रमिक यदि 4 धण्टे से कम कार्य करता हो तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50 प्रतिशत तथा 4 धण्टे से अधिक कार्य करने पर पूर्ण निर्धारित वेतन मिलेगा।
59. नियिदा में जो भी दस्तावेज़/प्रमाण पत्र चाहे गये हैं। वह सब सलान किया जाना अनिवार्य है किसी भी पंजीकरण/प्रमाण पत्र/दस्तावेज़/पत्र के स्थान पर आवेदन रसीद अथवा प्रोविजनल दस्तावेज़ स्वीकार नहीं होगा।
60. नियिदा में दरें समान आने पर उपापन समिति द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों पर नियिदा का निर्णय किया जावेगा—

क्र. सं.	चयन का आधार	कार्यकुशलता का विवरण		चयन के लिए निर्धारित अंकों की संख्या
1.	गत तीन वित्तीय वर्ष का औसत टर्नओवर (सी.ए. की रिपोर्ट के आधार पर एनेक्सर- 1)	अ.	3,00,000 लाख तक	10 अंक
		ब.	3,00,001 से 10,00,000 लाख तक	15 अंक
		स.	10,00,000 लाख से अधिक	20 अंक
		द.	यदि एक से अधिक नियिदाता का टर्नओवर 10,00,000 लाख रु० से अधिक हैं तो सबसे अधिक टर्नओवर वाले केवल एक संवेदक को 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे।	
2.	संवेदक/फर्म माह मार्च-2023 में उपलब्ध कराये गये कुल मैन-पावर कार्मिकों की संख्या व उनको देय पीएफ एवं ईएसआई में कितने कार्मिकों का जमा कराया गया है। (चालानों की प्रति संलग्न करें भय कार्मिक विवरण) • मार्च-2023 में कुल मैन पावर की संख्या अंकित करें—.....	अ.	1-10 कार्मिकों तक	10 अंक
		ब.	11-30 कार्मिकों तक	15 अंक
		स.	31 कार्मिकों से अधिक	20 अंक
		द.	यदि एक से अधिक नियिदाता के कार्मिक 31 से अधिक हैं तो सबसे अधिक कार्मिक सप्लाई करने वाले केवल एक संवेदक को 05 अंक अतिरिक्त देय होंगे।	
3.	संवेदक /फर्म का रजिस्ट्रेशन के अनुसार (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करें )	अ.	राजस्थान राज्य के अंदर किन्तु कोटा संभाग से बाहर की फर्म/संवेदक होने पर	10 अंक
		ब.	कोटा संभाग के अंदर की फर्म/संवेदक होने पर	15 अंक

यदि इसके उपरान्त भी दो या दो से अधिक संवेदकों को एक समान अंक प्राप्त होते हैं तो उपापन समिति द्वारा किसी एक संवेदक का चयन सर्वमान्य होगा। जिसके अंतिम निर्णय का समस्त अधिकार उपापन समिति को होगा।

61. अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार लागू होंगे।

62. Annexure-1 , 2, 3, 4 व A , B , C , D संलग्न करना आवश्यक है।

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षक  
राजकीयसम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग,  
कोटा

मैंने / हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है।  
मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत हैं। सहमति स्वरूप निविदा की  
सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर  
नाम एवं पता मय सौल

**Annexure A**

**Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.**

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

**Conflict of Interest:-**

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;
  - a. Have controlling partners/shareholders in common; or
  - b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
  - d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date:

Place:



Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to अधीक्षक राजकीय समिक्षण एवं किशोर गृह कोटि for procurement of ARC for hiring of man power (परामर्शदाता, केस वर्कर, सहायक—सफाई कर्मचारी, गृह पिता, पैरामेडिकल स्टाफ, कम्प्यूटर ऑपरेटर मेन विद मशीन) services in response to their Notice Inviting E-Bid No 05 /2023-2024 dated 25-04-2023, I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

### Annexure C

#### Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is Director, Child Empowerment Department, Jaipur. The designation and the address of the Second Appellate Authority is Additional Chief Secretary, Govt. of Rajasthan, Jaipur.

**(1) Filing an appeal**

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

**(5) Form of Appeal**

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

**(6) Fee for Filing Appeal**

(a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.



(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
- (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Date:

Place:



Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

**Annexure D**  
**Additional Conditions of Contract**

**1. Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error,in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

**2. Procuring Entity's Right to very Quantities.**

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

**3. Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured fro the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder,



whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

*V.N.*

## घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं। वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा अधिनियम की धारा 46 एवं नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवरित नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो की जा सकती पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूत को पुर्ण रूप में समरप्त कर किया जा सकेगा, तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।



बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम भय सील

शपथ पत्र

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 62 तक को भली-भांति पढ़ लिया है,  
समझ लिया है एवं इन समस्त शर्तों की पूर्ण पालना हेतु सहमत हैं तथा पूर्ण पालना की निष्ठापूर्वक पालन  
करने का वचन देता हूं/देते हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

W

Annexure '1'

CERTIFICATE OF ANNUAL TURNOVER

It is to certify that the average annual turnover of M/s. ....

.....  
Address.....

.....  
.....for the last three financial year

supply in of regarding work was

Sr. No.	Financial Year	Annual Turnover in same Contract (Rs. In Lakh)	Remarks
1.	2020-21		
2.	2021-22		
3.	2022-23		

Date:

Signature of the Auditor/Seal

Chartered Accountant

Place:

(name and Address)

Tel. No. :-

Mob.No. :-

Annexure '2'

बोलीदाता / संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:-

क्र. सं	विवरण	रजिसंख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970)				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवाकर				
5	संस्था आयकर (पैन नम्बर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एकट 1932 या इण्डियन कम्पनी एकट 1956				
7	बिड प्रपत्र शुल्क का डी.डी. एवं बिड सेक्युरिटी बॉण्ड संलग्न करना होगा।				
8	किसी विभाग में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करना।				
9	मैंने पावर आपूर्ति हेतु न्यूनतम तीन वर्ष का प्रमाण संलग्न करना				
10	गत तीन वर्षों का सीए का ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना				
11	गत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करना				
12	गत तीन वर्षों का औसत वार्षिक न्यूनतम 3 लाख रुपये का टर्न आवर संलग्न करना				
13	परिशिष्ट 1,2,3,4 एवं A,B,C,D संलग्न करना				

हस्ताक्षर निविदादाता

अधीक्षक  
राजकीयसमेक्षण एवं किशोर गृह  
बाल अधिकारिता विभाग,  
कोटा

दिनांक :-

### घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने निविदा शर्तों के विरुद्ध कोई शर्त नहीं लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि यह संस्था/फर्म श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या .....दिनांक ..... है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा उचित कानूनी कार्यवाही कर सकेगा और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई है तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति राशि (सिक्योरिटी) जब्त कर सकेगा।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम मय सील

निविदादाता की घोषणा

बोली की समस्त/समझ लिया है जानकारी/शर्तों को मैंने/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी फर्म/संस्था उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में निविदा में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध है तथा उपापन पारदर्शिता अधिनियम की धारा 46 एवं उपापन नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा प्रतिभूति/कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त किया जा सकेगा। तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादातानाम मय सील

